

जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी।
Email I.D.-eewkcsakri@gmail.com
अतिअल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०:-8/2023-24
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)


पत्रांक:- 19

/सकरी, दिनांक- 04-01-2024


1. कार्य की विवरणी :-

शुप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० लाख में)	अग्रघन की राशि (रु० में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल / मैनुअल मोड में भुगतये)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	बेल्डॉन को देय "बिड प्रोसेसिंग फी" (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1.	"हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत श्रीरामपुर वितरणी के वि०दू० 9.60(दायाँ) पर फिल्ड चैनल सहित आउटलेट का निर्माण कार्य	25.58	51,200/-	5,000.00	590.00	15/05/2024

2. विज्ञापनदाता का नाम :- कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी।
3. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :- दिनांक 04.01.2024
4. निविदा कागजात डाउनलोड/अपलोड करने की तिथि :- दिनांक 12.01.2024 से 18.01.2024 के अपराहन 3:30 बजे तक। (सिर्फ www.eproc2.bihar.gov.in वेबसाइट पर)
5. प्री-बिड मिटिंग का समय, स्थान एवं तिथि :- दिनांक 15.01.2024 को 3:30 बजे अपराहन में कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी के कार्यालय में।
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 20.01.2024 को अपराहन 3:30 बजे। (सिर्फ www.eproc2.bihar.gov.in वेबसाइट पर)
7. वित्तीय बीड खुलने की तिथि एवं समय :- सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार स्थान, तिथि एवं समय की सूचना बाद में दी जायेगी।
8. निविदा खोलने का स्थान :- सिर्फ www.eproc2.bihar.gov.in वेबसाइट पर
9. निविदा का वैधता अवधि :- निविदा प्राप्ति के 120 दिन बाद तक
10. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु :- वेबसाइट <https://eproc2.bihar.gov.in/> - <https://wrd.fmiscwrdbihar.gov.in> पर देखा जा सकता है।


कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी।

Mobile No. 9304651816


 04.01.2024

नियम एवं शर्तः—

11. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदको को पंजीकृत होना होगा जिससे उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) प्राप्त होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा। ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया ई-टेंडरिंग सेल, द्वितीय तल सिंचाई भवन पटना (0612-2217887 अथवा e-Procurement Helpdesk : mjunction services limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S. - Shastri Nagar, Patna 800 014, Bihar Toll Free Number: 1800 572 6571 पर सम्पर्क किया जाया जा सकता है।
12. समुचित श्रेणी में जल संसाधन विभाग में निबंधित संवेदक ही इस निविदा में भाग ले सकते हैं।
13. ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
14. निविदा के साथ निम्नलिखित स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य है:-
 - (i) निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।
 - (ii) निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि।
 - (iii) आरक्षी अधीक्षक से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (iv) पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (v) जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - (vi) निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) (निविदा निर्गत करने की तिथि के बाद का निर्गत) अपलोड करना अनिवार्य होगा जो इस प्रकार है—
 - 1- यह कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
 - 2- यह कि मुझे किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar, Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
 - 3- यह कि मेरा कोई निकटतम संबंधी (संबंधी से अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
 - 4- I, the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as blacklisting”

टेक्नीकल बीड में सफलता का निर्धारण उपरोक्त कागजातों के आधार पर ही होगा।

15. (क) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान online mode (e-Payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
(ख) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online mode (e-Payment mode) में स्वीकार्य होगा। Online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है। Physical mode/Manual Payment System के तहत मात्र बिना शर्तवाली बैंक गारंटी (विभागीय पत्रांक:-385, दिनांक: 26.08.2020 क) के आलोक में (as Per Format) में बीड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (Bid validity 120 +45 days-165 days) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सकरी के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया जाना होगा)। इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सकरी /अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनेटरिंग प्रमंडल, दरभंगा के कार्यालय में दिनांक 19.01.2024 को 03.30 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित बैंक गारन्टी निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि के बीच निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
16. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा



पत्र को भरकर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात, अग्रधन की राशि का जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी की प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों जो निविदा के लिये आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

17. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को केवल बेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द-विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. संवेदक स्कैनकर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख PDF, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में uploaded documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
20. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
21. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।
22. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
24. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लेंगे। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
25. जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों/पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जायेगा।
26. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम दर की स्थिति में सफल निविदा का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
27. सरकार के परिपत्र एवं आदेश के आलोक में संवेदक के विपत्र से नियमानुसार स्वामित्व, आयकर, जमानत की राशि, जी0 एस0 टी0, लेबर सेस की कटौती की जायेगी। (लेबर सेस की कटौती की राशि को बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद में जमा किया जायेगा) साथ ही विभागीय पत्रांक:-599, दिनांक: 06.12.2019 के आलोक में मालिकाना फीस (S.F.) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य रॉयल्टी सहित का 10 (दस) प्रतिशत प्लैट दर पर कटौती की जायेगी।
28. संवेदक को एकरारनामा के उपरान्त Over All Implementation Schedule (O.I.S) समर्पित करना होगा तथा इसके अनुसार प्रत्येक पाक्षिक (तथा आवश्यकतानुसार) प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना होगा।
29. गुण नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा के कार्यालय से गुणवत्ता जाँच का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही संवेदक को कराये गये कार्य का भुगतान किया जायेगा।
30. कार्य का एकरारनामा Form F₂ पर होगा जिसका कंडिका 23 विलोपित समझा जाय।
31. निविदाता द्वारा न्यूनतम दर उद्धृत करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक-4439(E) दिनांक- 17.07.2023 एवं जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक- 536 दिनांक- 18.07.2023 के आलोक में CWJC सं0 9941/20222 में दिनांक-06.07.2023 को पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।
32. निविदित दर Serious unbalanced rate होने की स्थिति में Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक- 447(s), 448(s), 449(s) दिनांक- 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
33. निविदा निष्पादन के दौरान उन निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जाएगा जिनके विरुद्ध विभाग से कालीकरण की कार्रवाई चल रही है या कार्यकलाप संदेहास्पद हो या इस प्रमंडल में पूर्व में किए गए कार्य संतोषप्रद नहीं है अथवा समय पर पूर्ण नहीं किया गया है।
34. निविदा की पूर्ण शर्तें एवं विशिष्टियाँ आदि परिमाण विपत्र के साथ संलग्न रहेगा।
35. विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यावधि में अथवा मोबाईल सं0-9304651816 से संपर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी।

Mobile No. 9304651816

पत्रांक: 19 /

सकरी / दिनांक: 04-01-2024 /

प्रतिलिपि: जन सम्पर्क पदाधिकारी जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना को सूचना की प्रतियां एवं एक सीडी के साथ लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र (स्थानीय एवं राज्यस्तरीय), एवं वेबसाईट में प्रकाशन हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी